दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति। अन्य पिछडा वर्ग। अल्पसंख्यक कल्याण समिति
Committee on Welfare of SC/ST/OBC/Minorities

प्रथम प्रतिवेदन
First Report

दिनांक 26 मार्च, 2010 को प्रस्तुत
Presented on 26 March, 2010

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

समिति की सदस्यता
COMPOSITION OF COMMMITTEE
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/
अल्पसंख्यक कल्याण समिति

1	श्री मालाराम गंगवाल	सभापति
2.	श्री राजेश लिलोठिया	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सदस्य
4.	श्री जय किशन	सदस्य
5.	श्री वीर सिंह धिंगान	सदस्य
6.	श्री रमेश विधूड़ी	सदस्य
7.	श्री सुनील वैद्य	सदस्य
8.	श्री मनोज कुमार	सदस्य
9.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सदस्य

विधान सभा सचिवालय
Assembly Secretariat

1.	श्री सिद्धार्थ राव	सचिव
2.	श्रीमति शिमला	संयुक्त सचिव (विधायी)
3.	श्री अज़ीज़ुद्दीन अहमद	उप सचिव

प्रस्तावना

मैं, मालाराम गंगवाल, सभापति अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित लोगों की समस्याओं के संबंध में इस समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

समिति विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समिति की बैठकों के लिये पृष्ठभौमिक सामग्री उपलब्ध कराने एवं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रशंसा करती हैं। समिति की बैठकों में उपस्थित होकर संबंधित जानकरी उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों की भी समिति प्रशंसा करती है।

माला राम गंगवाल

सभापति
अनुसूचित जाति,जनजाति,
अन्य पिछडा वर्ग/
अल्पसंख्यक कल्याण समिति

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण समिति

पहला प्रतिवेदन

सचिव, दिल्ली विधान सभा ने 02.03.2010 को विधान सभा में संपन्न हुई समिति की बैठक में, समिति के कार्यकलापों के बारे में विस्तार में जानकारी दी और बताया कि इस समिति की अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है।

समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान, अ.सू.जाति/जन जाति/अ.पि. जाति व अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण विभाग के सचिव व अन्य अधिकारियों ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृति योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में प्रमुख निम्नलिखित योजनायें है

क्र. स.	योजना का नाम	आर्हता
1.	शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	माता पिता कि अधिक्तम आय सीमा एक लाख रू. प्रतिवर्ष
2	योग्यता छात्रवृति	उपरोक्त
3.	मुफ्त लेखा सामग्री अनुदान	उपरोक्त
4	योग्यता छात्रवृति (उच्च शिक्षा संस्थान)	उपरोक्त
5.	ड़ा बी आर अम्बेडकर राज्य पारितोषक पुरूस्कार	उपरोक्त

इन सब योजनाओं की आवश्यक अर्हताओं तथा अन्य प्रावधानों के अध्ययन से यह बात सामने आयी कि इनमें लगभग सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने की पात्रता के लिए छात्र के परिवार की आय एक लाख रू प्रति वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

समिति का मानना है कि मौजूदा वक्त में लोगों की आय तो अवश्य बढ़ी है परन्तु महगॉई उससे कही अधिक दर से बढ़ी है। एक लाख रू प्रति वर्ष की आय कोई सम्पन्नता की सीमा नही है इस मुददे पर समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी तथा सभी इस मत के थे कि छात्रवृति की पात्रता के लिए आय सीमाा बढ़ायी जानी चाहिए।

अतः समिति यह सिफारिश करती है कि छात्रवृति की पात्रता के लिए परिवार की आय की सीमा कम से कम दो लाख रू. प्रतिवर्ष की जाए।

2 .अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. के छात्रों को छात्रवृति दिये जाने के लिए एक अन्य अर्हता है जाति प्रमाण–पत्र, छात्रवृति योजना के पात्रता प्रावधानों में यह एक और शर्त है कि जाति प्रमाण पत्र छात्र के नाम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हुआ होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन छात्रों को काफी दौड धूप करनी पड़ती है इस संबंध में समिति के सभी सदस्य इस विचार के थे कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा और सुगमता होनी चाहिए।

अतः समिति यह सिफारिश करती है कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर उसकी जाति का भी उल्लेख होना चाहिए और यही प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होना चाहिए।

3. दिल्ली में जिन अन्य पिछड़ी जातियों को सूची में शामिल किया गया था उनके संबंध में एक आदेश के तहत यह शर्त रखी गयी थी कि वे कुछ वर्षों से लगातार दिल्ली के निवासी हो। इस प्रयोजन के लिए कट आफ डेट निर्धारित की गयी थी, इस कट आफ डेट को निधारित करने के पीछे जो उद्वेश्य था वह यह था कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अ. पि.जा. की पात्रता के लिए वर्ष 1993 तक दिल्ली में रहते हुऐ होना चाहिए। अब लगभग 15 वर्ष बीत जाने पर भी यदि कट आफ डेट 1993 ही रहती है तो यह बहुत लम्बा अन्तराल हो जाता है जिसके चलते बहुत से लोंग जो इस वर्ग के है और लाभ के पात्र है इस योजना का लाभ प्राप्त नही कर पाते। समिति के सभी सदस्यों ने यह मत प्रकट किया कि इस संबंध में कट आफ डेट के स्थान पर रिहायश की समय सीमा को अर्हता बनाया जाना चाहिए।

समिति यह सिफारिश करती है कि 1993 की कट आफ डेट को समाप्त किया जाये तथा उसके स्थान पर यह शर्त रखी जाये कि आवेदक पिछले 10 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से लगातार दिल्ली में रह रहा है।

समिति का मत था कि दिल्ली में ऐसे प्राइवेट तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक व गरीब वर्ग के बच्चों का भी एडमिशन कोटा तय होना चाहिये जिनको सरकार से मुफ्त या काफी कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के पब्लिक/प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिये भी इन वर्गो के बच्चों का कोटा तय किया जाना चाहिये।

समिति की यह भी सिफारिश है कि सभी ऐसे प्राइवेट/पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिये भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों के लिये भी प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की जाये जैसा कि गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में आने वाले बच्चों के प्रवेश का कोटा तय है। ताकि सभी बच्चों को प्रवेश मिल सकें। इसके अलावा स्कूलों में सीटें भी बढायी जाये।

समिति ने निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक व गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये अधिक से अधिक योजनाएं बनाई जाये और उन्हें सुचारू रूप से लागू किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे लाभन्वित हो सकें। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इस तरह की योजनाओं के कियान्नवन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही रहनी चाहिये।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अनुसचित जाति/ जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी को तुरन्त समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठायें जाये। यदि सरकार उचित समझे तो अनुसचित जाति/ जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण के कार्य की महत्ता को देखते हुए एक स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना पर विचार कर सकती है ताकि यह कार्य अधिक प्रभावशाली ढ़ग व सुचारू रूप से चलाया जा सके।

माला राम गंगवाल

सभापति
अनुसूचित जाति,जनजाति,
अन्य पिछडा वर्ग/
अल्पसंख्यक कल्याण समिति